अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

86/2025/223 रामदेव V/S राज्य सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2025/86
पेशी	श्री हीरालाल माली श्री GA
14/11/25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया । मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 28/11/25 को पेश हो । [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
28.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो अ. उप.। अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते है, जो दिया जाता है. आइंदा बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. व बहस अपील दिनांक 23/01/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
23/01/26	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उप. । राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया । मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 13/02/26 को पेश हो । [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
13/2/26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा रिकॉर्ड नम्बर में जमा हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

-00-

राजस्व अपील सं.86/2025

-00-

2025/86

1. श्री रामदेंव पुत्र भवंरलाल उम्र 61 वर्ष
2. पांची पुत्री भंवरलाल उम्र 43 वर्ष
3. सफु पुत्री भंवरलाल उम्र 38 वर्ष जातिगण भांबी निवारी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज0)

:: अपीलार्थीगण ::

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

:: रेस्पोडेन्ट्स ::

2025/86
3/2/25

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बनाराजगी आदेश न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद सं. 99/2022 आदेश दिनांक 13-05-2024 के विरूद्ध अपील

....

महोदय,

अपीलार्थीगण श्रीमान् से निम्न निवेदन करते हैं कि :-

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के द्वारा राजस्व वर्किंग खसरा सं. 1881, रकबा 06-00-00, जो वादी के पिता के नाम दर्ज थी जिसके हाल खसरा सं. 2125 मिन, रकबा 1.00 को श्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त दुरूस्ती हेतु श्रीमान् के समक्ष राजस्व वाद खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दिनांक 01-07-2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें तलब किया गया राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्किग जमांबदी के खाता संख्या 300/1 में खसरा नम्बर 2125 रकबा 06-00-00 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल के नाम खातेदारी दर्ज थी। वर्तमान मे भूमि सिवायचक है। अतः- प्रतिवादी वादी को बेदखल करने का अधिकारी है। वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न मनकियात कायम

रामदेव —अंगु. पांची —अंगु. सफु उर्फ रामेश्वरी

Scanned with CamScanner